झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या– 08/नियम/110/2016/न0वि0आ0 ....1327....... राँची,दि0–27/02/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–590 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा–182 एवं धारा–184 में निहित प्राक्धान के आलोक में करों के भुगतान का समय, प्रक्रिया तथा वसूली सुनिश्चित करने हेतु, झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः–**

1.1 यह विनियम 'झारखण्ड नगरपालिका कर भुगतान [समय, प्रक्रिया तथा वसूली] विनियम, 2017' कहा जायेगा।

1.2 इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

1.3 यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाएँः–**

2.1 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011

2.2 'धारा' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।

2.3 'नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी' से अभिप्रेत है, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत उक्त स्तर के पदाधिकारी।

2.4 'प्राधिकृत पदाधिकारी' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 33(3) (ख) के अनुसार शक्ति प्राप्त करने वाला।

2.5 'वित्तीय वर्ष' से अभिप्रेत है, पहली अप्रैल से 31 मार्च तक।

2.6 'नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति' से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में प्रावधानित नगर निकाय।

2.7 'कर' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 152(1) में उल्लिखित कर।

2.8 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग; झारखण्ड।

2.9 'स्थायी समिति' से अभिप्रेत है, शहरी स्थानीय निकायों में गठित स्थायी समिति।

3. **प्रावधान :–**

3.1.1 झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–152 (1) में उल्लिखित निम्नांकित करो के उदग्रहण की शक्ति शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा की जाएगी :–

(क) भूमि एवं भवनों पर सम्पत्ति कर,

(ख) रिक्त भूमि पर कर,

(ग) भूमियों एवं भवनों के स्थानान्तरण पर अधिभार,

(घ) किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थल के अभाव पर कर,

(ङ) जल कर,

(च) अग्नि कर,

(छ) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से इतर विज्ञापनों पर कर,

(ज) मनोरंजन कर पर अधिभार,

(झ) शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में विद्युत उपभोग पर अधिभार,

(ञ) सभा कर,

(ट) तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों पर कर,

(ठ) मार्ग (पथ) कर –

(i) सड़को, पुलों तथा नौघाट एवं नौगम्य जलमार्ग पर, और

(ii) किसी सार्वजनिक सड़क पर चलाये जाने वाले मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अर्थान्तर्गत भारी ट्रक जो भारी मालवाहक वाहन होगा तथा बसें जो यात्री वाही भारी मोटर वाहन होगा, पर।

(ड) वृत्ति एवं व्यवसाय (पेशा) पर कर।

(ढ) राज्य सरकार द्वारा विहित अन्य कर।

3.1.2 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय अपने क्षेत्रान्तर्गत उपर्युक्त करों की वसूली के निमित्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–181 के तहत संबंधित उपभोक्ता को बिल अथवा मांग–पत्र का अनिवार्य रूप से तामिला कराएगा।

1327 27/02/17

3.1.3 बिल अथवा मांग–पत्र का तामिला कराने के बाद संबंधित उपभोक्ता के द्वारा अधिकतम एक माह की निर्धारित अवधि के अन्तर्गत करों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

3.1.4 निर्धारित अवधि तक उपभोक्ता के द्वारा करों का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में निम्नांकित अर्थदण्ड भुगतेय होंगे :–

क्रमांक	विलंबित अवधि	दण्ड की राशि
1.	निर्धारित अवधि से एक सप्ताह की अवधि तक	भुगतेय राशि का 1 प्रतिशत
2.	निर्धारित अवधि से दो सप्ताह की अवधि तक	भुगतेय राशि का 2 प्रतिशत
3.	निर्धारित अवधि से एक माह की अवधि तक	भुगतेय राशि का 3 प्रतिशत
4.	निर्धारित अवधि से दो माह की अवधि तक	भुगतेय राशि का 5 प्रतिशत

उसके पश्चात प्रत्येक माह के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड की राशि भुगतेय होगी।

3.1.5 उपर्युक्त निर्धारित अवधि तक करों का भुगतान नहीं करने की स्थिति में धारा 184(1)(क) के अधीन डिमाण्ड नोटिस निर्गत किया जायेगा, जिसमें निम्न राशि सम्मिलित किये जायेंगे –

i) बकाया राशि,

ii) दण्ड की रकम,

iii) संपूर्ण राशि पर 2% प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज।

3.2 उपर्युक्त सम्पूर्ण राशि का भुगतान नही करने पर बकायेदार के नाम, बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय (इन्स्ट्रूमेंट), चाहे एकल हो या संयुक्त रूप से धारित हो, जब्त करने एवं वसूल करने हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा।

3.3 संबंधित बकायेदार के बैंक खाते में डिमाण्ड नोटिस में उल्लिखित राशि से कम राशि रहने की दशा में संबंधित होल्डिंग के कर वसूली के लिये उस होल्डिंग की कुर्की करने संबंधी सूचना संबंधित बकायेदार को दी जायेगी। तत्पश्चात् उस होल्डिंग का मूल्यांकन सरकार द्वारा प्राधिकृत आकलन पदाधिकारी (Assessing Officer) से कराकर, इसकी नीलामी हेतु कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी जायेगी एवं निर्धारित की गई तिथि को इसकी नीलामी करायी जाएगी।

नीलामी की प्रक्रिया सील बंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित कर स्थल/निकाय कार्यालय में की जायेगी। जिन व्यक्ति/फर्म/अन्य के द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा, उनके मध्य नीलामी हेतु बोली लगायी जायेगी एवं अधिकतम बोली लगाने वाले के पक्ष में नीलामी की जायेगी, परन्तु उक्त नीलामी की सम्पूर्ण राशि, नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरन्त बाद जमा करनी होगी।

3.4 नीलामी प्रक्रिया से प्राप्त राशि में से वसूलनीय राशि एवं नीलामी प्रक्रिया में व्यय हुए राशि की कटौती करते हुए, नीलामी राशि की अवशेष राशि एक निर्दिष्ट बैंक में बचत खाते में जमा की जायेगी, जिसे संबंधित बकायेदार की लिखित अधियाचना पर ब्याज सहित (जो बैंक द्वारा इस खाते में जमा की गई हो) वापस की जायेगी।

3.5 आवश्यकतानुसार, सम्पूर्ण वसूलनीय राशि, वसूल करने हेतु बकायेदार के विरूद्ध बॉडी वारंट निर्गत किया जा सकेगा।

3.6 उक्त सम्पूर्ण वसूलनीय राशि की वसूली हेतु बकायेदार की चल सम्पति, यथा–किसी भी प्रकार के चल परिसंपति, वाहन–बस, ट्रक, कार, अन्य आदि को निकाय अपने आदेश से जब्त कर, नियमानुसार संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक से आकलन करा कर, वाहन का मूल्य निर्धारित करते हुए इसकी नीलामी कर सकेगा।

1327 27/02/17

नीलामी से प्राप्त राशि को निकाय खाते मे जमा करने के उपरान्त इस राशि मे से वसूलनीय राशि एवं नीलामी प्रक्रिया में व्यय हुए राशि की कटौती करते हुए शेष राशि (बिना किसी ब्याज के) 07 (सात) दिनों के अंदर होल्डिंग मालिक को चेक के माध्यम से वापस की जाएगी।

3.7 यदि किसी व्यक्ति पर कर बकाया हो एवं उपर्युक्त गणनानुसार राशि आकलित करते हुए राशि भुगतान हेतु नोटिस निर्गत हो तथा संबंधित के द्वारा राशि भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही हो तथा यह आशंका हो कि व्यक्ति निकाय क्षेत्र छोड़ने वाला हो, तो उसकी भवन आदि के बिक्री पर रोक लगाने हेतु संबंधित उपायुक्त से अनुरोध किया जायेगा। ऐसी सम्पत्ति की खरीद–बिक्री पर रोक से संबंधित सूचना कम से कम 02 (दो) स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी जायेगी।

यदि सम्पति क्रय करने वाले व्यक्ति के द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान निकाय को कर दिया जाता है, तो ऐसी रोक हटायी जा सकेगी।

3.8 बकाया कर राशि या उपभोक्ता शुल्क (User Charge) का भुगतान कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर करना बाध्यकारी होगा, परन्तु अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी यदि संतुष्ट है कि व्यक्ति सम्पूर्ण राशि का भुगतान एक मुश्त करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कर राशि को किश्तों में निम्न प्रकार से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं –

क्रमांक	बकाया कर या उपभोक्ता शुल्क की राशि	किश्तों की संख्या
1	10,000/– रू० से कम	शून्य, परन्तु यह कि कर देयता वरिष्ठ नागरिक/विधवा है, तो भुगतान 02(दो) किश्तों में करने की अनुमति दी जा सकेगी।
2	10,001 से 25,000/– रू० तक	02(दो) बराबर मासिक किश्तों में।

3	25,001 से 50,000/- रू० तक	प्रथम किश्त 60%, शेष 40%, दो बराबर मासिक किश्तों में।
4	50,001 से 1,00,000/- रू० तक	प्रथम किश्त 70%, शेष 30%, दो बराबर मासिक किश्तों में।
5	1,00,001/- रू० से अधिक	प्रथम किश्त 70%, शेष 30%, दो बराबर मासिक किश्तों में।

3.9 जिन मामलों में कर राशि ब्याज एवं दण्ड के साथ भुगतान हेतु नोटिस निर्गत है, वैसे मामलों में किसी भुगतेय राशि को किश्तों में भुगतान करने की स्वीकृति नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेगी, परन्तु यह कि प्रथम किश्त में कुल देय राशि (कर + ब्याज + दण्ड राशि) की 60% से अन्यून राशि निर्धारित की जा सकेगी एवं शेष राशि को अधिकतम 03 (तीन) मासिक किश्तों में भुगतान करने का आदेश दिया जा सकेगा।

4. इस विनियम को लागू करने में यदि कोई कठिनाई या विवाद उत्पन्न हो, तो अधिनियम के संगत कोई निदेश/आदेश जारी करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सक्षम होगा।

5. **निरसन एवं व्यावृत्ति:-** इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व इससे संबंधित लिए गये निर्णय के संबंध में यह कहा जायेगा कि सभी निर्णय इस विनियम के अध्यधीन लिये गये हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

24.2.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 08/नियम/110/2016/न0वि0आ0 1327 .... **राँची,दि0** 27/02/17

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 08/नियम/110/2016/न0वि0आ0 1327 .... **राँची,दि0** 27/02/17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड, राँची/सभी शहरी स्थानीय निकाय/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.17

सरकार के प्रधान सचिव।